

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

में इसके द्वारा वक्त वासामक सहमान। वर्ष 2006- 2007

सोसाइटोज र्राजस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई । साथ दिया गया। आज तारीख रेक ने एमास मई वर्ष दो हजार दृशः को राँची में मेरे हस्ताक्षर के

गोवनंमें द प्रेस, रांची।



ास्ते, महानिरोक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

पत्रांक . 55-101/06 - 602

दाखिल करने का प्रमाण-पत्र निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय झारखण्ड, रॉची।

स्ट्रिक्ट दो स्ट्रिक संस्थान दिनांक 31. 5.06

प्रमाणित किया जाता है कि 1860 के सोसाइटी रजिस्टेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नलिखित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल / निबंधित / अभिलिखित किया गया है / किये गये है।

निबंधन शुल्क 50 / - रूपया मात्र।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, रॉची।

सेवा में

सिचव, अर्दाक कुछ ग्रेंश्मिश्चित्र स्वा'(ने(-पान यागराम विद्या निकातम, स्टेमार्ग रोड यो०+थामा - देहामां, जिला-प्राम्

उनके पत्रांक दिनांक के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक झारखण्ड, रॉची।

पत्राक 75'-101/06 - 1556 झारखण्ड सरकार निबंधन विभाग।

प्रेषक.

मो. युसूफ, सहायक निबंधा महानिरीक्षक।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव क्रिश्रिक के श्रिमिक के का , व्याम के डिस्का - प्राप्ताम |

रॉबी, दिनांक- 7-8-06

विषय : संस्था के स्मृति- पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के संबंध में।

महाशय,

आपके पत्र के आलोक में संस्था का स्मृति पत्र एवं नियमावली की प्रांते इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(मो. युसूफ)

_सहायक निबंधन महानिरीक्षक,

झारखण्ड, राँची।

ऋषिकुल शैक्षणिक संस्थान का स्मृति पत्र

- संस्थान का नाम :- ऋषिकुल शैक्षणिक संस्थान
- 2. संस्था का निबंधित कार्यालय :- सनातन विद्या निकेतन, स्टेशन रोड, पोस्ट/थाना-रेहला, जिला-पलामू,

झारखण्ड -822124.

- 3. कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश
- 4. संस्था का लक्ष्य एवं उद्धेश्य ः
- (क) सम्पूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के बीच राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने हेतु विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, औषधालय, छात्रावास, खेल-कूद, तथा संस्कार केन्द्र चलाना, औपचारिक शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा एवं आर्थिक विकास बढ़ाने एवं बेरोजगारी दूर करने हेतु "चकीय विकास प्रणाली" को गांव/शहर के स्थाई निर्माय अने हमने में लागु करना सामाजीक वानिकी, कुटीर उद्योग, हस्तकला आदि को प्रोक्सिक्त किरना ।
- (ख) युवाओं में विकास, स्वाप्ता करना व उनको शिक्षा देन प्रति करना । नागरिकों को शिक्षित करने के लिये कला. सभ्यता, विज्ञान, योग/ ध्यान केन्द्र एवं आध्यात्म की शिक्षा के लिए केन्द्रों की स्थापना करना । विज्ञान, योग/ ध्यान केन्द्र एवं आध्यात्म की शिक्षा के लिए केन्द्रों की स्थापना करना ।
- (ग) नागरिकों में अहं भावना, विश्वास, आत्म र्निभरता व आत्म सम्मान, राष्ट्रीय एकता एवं माईचारा की भावना का विकास करने हेतु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कैरना, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पर्वो को सामुहिक रूप से मनाना । सामान्य बैटक, वाद-विवाद, भाषण, लोक सांस्कृतिक कार्यकम, संत-प्रवचन साहित्य, पदर्शनी, इतनी और दृष्य माहरामों के द्वारा जन कल्याणार्थ इसन

तरह के कार्यकर्मा का आयोजन करना ।

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
ω	9	2.	7	2 2 3
डा. सुदामा चौबे, पिता-स्वर्त. राम चौबे ।		श्री स्वरुप पिता-र्स्व. जैन ।	भी १ पिता- गोविक	25
- र्स्त.		.म. श्र	श्री शोण भद्र वाण्डेय, पिता-रर्च, वंडित राघा गोविन्द पाण्डेय ।	1
ा बोबे राम		यदा राघा	पंडित पंडित	1
जबित		कृष्ण ,	राधा	
	2	다. 왕의 왕조	श्च अव	2 200
हेसल, स्टेंट बैंक स्टॉफ कॉलोबी, पिसका मोड., रातु, रॉबी, झारखण्ड-834005 अपना मकान, दूरभाष-2510256.		इंजीनियरिंग रोड, मेदनिनगर, जिला-पलामु, झारखण्ड। अपना मकान,	ग्राम/डाकघर/थाना-रंका राज जिला-गद्धा,झारखण्ड। अपना मकान, दूरभाष-254672.	स्तान स्तान स्तान सहराताम् स्तान स्तान स्तान अपना केरारो का है, दूरभाष अकित करें
रेट बैंक पिसका 1, 8340(कान, 51025	į	रंग रोड, र, जिल कान,	घर/था व्या,झा कान, 546	Allen A
क स्टॉफ ज मोड., 005		ड, ला-प	खा-रू रखण्ड 72.	Barrell Barrell
* a		ঝু	는 <u>현</u>	& 基础工作
OF THE OF				
Har Har	103	63	73	2
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	3/3	बी. कॉम,	को व	
यं. डी.	AEINSF	अंस	एम. कॉम, कोलकाता विश्व विद्यालय।	
	MEINSPECTO		य विश्व	
The state of the s	33/		संवा पंजाब समा	
सं क्यांका संदर्भ संस्था संदर्भ संस्था		सम	सवा निवृत । पंजाब मैशनल समाज सेवक।	
पूर्व क्ष अर्थ य, रॉन		समाज सेवी	सवा निवृत मा पंजाद नैशनल है समाज सेवक।	
र्थशास्त्र		के	वेंक,	
			9	
		A Committee of the comm		
7/15	2	तान		
	Water V	2000		
	- 5		William St.	
	dy!			1
2	1/,		/ m	
`	X.			
			the state of the s	
			* (
			\	

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

संस्था की कार्यकारिणी सिमिति में पदाधिकारियों सिहत कुल ७(सित) सदस्य होंगे, The state of the s

प्रमा	20	o	ςn	4	12
प्रमाणित किया जाता है कि उ	- पिता-इ	श्री ब्रजेश कुमार दूबे पिता-श्री जनार्दन दूवे।	श्री विजय नारायण पाण्डेय, पिता-श्री अर्शकी पाण्डेय ।	डा. परमा नन्द तिवारी, पिता-रर्वे. जणेश तिवारी।	The state of
उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो उपर विपका/ अंकित		मकान संख्या-27/625, शिवपुरी, हिनू, राँची, झारखण्ड-834002. अपना मकान, दूरभाष-2500889.	मकान संख्या-८०३, वसुंधरा ऑर्डेन, हरिहर सिंह रोड, वारीचातु, रॉची, झारखण्ड-८३४००८. किराया का मकान, दूरभाष-९४३११०९८३१.	माठाव संख्या-0/202, ईश्वरी एनवलेव, लोवर विद्यापती नगर, कांके रोड, रॉंची, झारखण्ड-834008. अपना मकान, दूरभाष-2232994.	संसम् मण्डाः शहरत्याचन्त्रावस्यः, विस्ता सकान अपनाः किराये का है,
उपर विपका।	42	4 4	47	5 6	
भी के अर	ਸ਼ੇ. ਹ.	म्बुष्ट्य मेडीएट इंबाइन ऑर्ट्स	यात्रिकी अभीयंता	एम,बी.बी.एस, डी.ए.	
मरे समक्ष हस्ताक्षर किया ह	अध्यापक, संत जेवियर्स महाविद्यालय राँची ।	ब्यवसाय ।	अभीयंता, उप महाप्रबंधक बेशनल धर्मल पॉवर लिमिड्ड रॉंची।	जावदर सेन्द्रल, कोल फील्ड लिमिटेड, नई सराय रुगणालय, रामगढ़, हजारीवाग, झारखण्ड।	
The state of the s	The state of the s			Howar.	
V 6278	ter	The same of	Many model		

व्यक्ति निर्माण में स्थान के कार्यकारियों स्थानित के कार्यकारियों का विवरण । जिन्नार्गित व्यक्ति जिल्ला पूर बान, पिता का बान, पूरा पता, उ.स. शैक्षणक बीज्यता, पेका, प्रवास करताबर युक्त पारकी जानार का कोर्य कींग्रे अधित हैं। संस्था की वर्तनाव निर्मावर्शी के अनुसार से संस्था के कार्यकारियों समिति के सदस्य हैं।

	ω	a	7	य संस
* *	डा. युटामा टौबे, रित-स्वं. राम जवित हैंचे ।	श्री स्वरुप वस्य जैन, रिता-स्वं राधा कृष्म जैन ।	ही शोण भद्र पाण्डेय, प्ति-स्वर्ध पंडित राघा गोविन्स पाण्डेय ।	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम ।
Color of the Color	हेसल, स्ट्रेडिक स्टॅफ ळॉलोनी, फिस्का मोड, रातु, रॉपी, झारखाण्ड-834005 अपना मकान,	इंजीनियरिंग ये स्थानमान्त्र, अदिनिनगर, विद्यानमान्त्र, अदिनिनगर, विद्यानमान्त्र, अदिनानमान्त्र, अदिनानमान्त्र, अदिनानमान्त्र, अदिनानमान्त्र, अदिनामान्त्र,	ग्राम/डाकघर/थाना-रंका राज, जिला-गढ़वा,झारखण्ड। अपना मकान, दूरभाष-254672.	मकान का पूरा पता, मुहल्ला, होल्डिंग संख्या, गली/रोड संख्या, थाना, शहर/गांव/डाकघर, जिला मकान अपना/ किराये का है, दूरभाष अंकित करें।
	0		73	34
	एके ए में. एच. डी., एल. एल. बी.	SIOSH 40 AAPSUA	एम. कॉम, कोलकाता विश्व विद्यालय।	शैक्षणिक योग्यता
	अध्यापक, पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, संत जेवियर्स महाविद्यालय, राँची ।	समाज सेवी	सेवा निवृत महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, समाज सेवक।	पेशा
NOTARY Notable Notab N	संदेव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	संस्था में पदनाम
				witch

		***	'n	4-	ल थी- ही
	भी विनय कुमार पाण्डेय, पिता-श्री अर्शकी पाण्डेय । अर्नोजात, किया जाता है कि उ	भ्री व्रजेश कुमार दूवे पिता-श्री जनार्दन दूवे।	श्री विजय नारायण पाण्डेय, पिता-श्री अर्शफी पाण्डेय	डा. परमा नन्द तिवारी, पिता-र्स्व. गणेश तिवारी।	पूरा नाम।
	ार अकान सख्या-802, के.स्य, उन्न भी जॉडेंन, हरिहर सिंह रोड, बारीयात, रॉकी, झारखाण्ड-834058 किराया का अकान उपर्युक्त क्योंका, जिनका फोटो उपर	सकाव संख्या-2 हिन्दू शिवपुरी, हिन्दू इगरखण्ड-834002 उपना सकान, दूरभाष-25008	मकान संख्या-८०३, वर्स्वरा गॉर्डेन, हरिहर सिंह रोड, बारीयातु, रॉची, झारखण्ड-८३४००८. किराया का मकान, दूरभाष-९४३।।।०९८	मकाल संख्या-ए/२०२, ईश्वरी एनक्तेव, लोवर विद्यापती नगर, कांके रोड, यँची, झारखण्ड-834008. आपना मकान, दूरभाष-2232994.	मकान का पूरा पता, मुहल्ला, होत्डिंग संख्या, गली/रोड संख्या, थाना, शहर/गांव/डाकघर, जिला मकान अपना/ किराये का है,
7	व उपर विषका/ 3	4 4 4 4	47 V-SPECT	υ ω	3
	कि हैं	अंग्रह अंग्रह सहित्य	यात्रिकी अभीयंता		शेक्षणिक योग्यता
The so the sound	अध्यापक, संत जेदिवर्स महाविद्यालय राँची मेरे समक्ष हस्ताक्षर ्हिय	ब्यवसाय	अभीयता, उप महाप्रबंधक नेशनत धर्मल पॉवर तिमिटेड, रॉंची।	डाक्टर, येन्ट्रल, कोल फील्ड लिमिटेड, नई सराय रूगणालय, रामगढ़, हजारीबाग, झारखण्ड।	पेशा
Salara Sa		सदस्य	सदस्य	श्रीक्षाक्ष	संस्था में पदनाम
	Man de	A STATE SEASON STATES OF THE S	TOUR PENSON OF A	The source of th	wha

Par Car

नियमावली

। परिभाषा

संस्था से अभिप्राय है क्र

"ऋषिकुल शैक्षणिक संस्थान"

समिति से अभिप्राय है स्त)

संस्था की कार्यकारिणी समिति

वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है ग)

पहली अप्रेल से 31 मीच तक

आमसभा से अभिप्राय है घ)

संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा

पदाधिकारी से अभिप्राय है ड-)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष

अधिनियम से अभिप्राय है ਰ)

संस्था निवंधन अधिनियम 21, 1860

2. संस्था की सदस्यता की शर्त

- कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, भारत को अपनी मातृभूमि, पूण्य भूमि मानता हो, देश के प्रति अनन्य श्रद्धा रखता हो ।
- सदस्य बनाने का अधिकार समिति को होगा । ख)

3. संस्थ की सदस्यता की समाप्ति :-

संस्था से त्याग पत्र

क) दिवालीया होने पर

ख)

मानरिक रूप से विद्याल, होने पर । ग)

मृत्यु होने पर 🗓 되)

सामाजिक अपरोध सिद्ध होने पर ।

बिना सूचना दिये त्वगुत्वार तीन बैटकों में अनुपरिश्रम रहने पर ।

संस्था के उद्देश्यों ए हितों के विपरीव कार्य करने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

- संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित कुल ७(सात) सदस्य होंगे, आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाकर अधिकतम २१(इक्कीस) तक किया जा सकता है, इनका कार्यकाल ३(तीन) वर्षों का होगा।
- संस्था के पदाधिकारियों में अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, कोषाध्यक्ष १ एवं कार्यकारिणी समिति के 3 सदस्य होंगे।
- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा तथा निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकेगें ।

5. कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकारः-

- संस्था की चल या अचल समप्ति के उत्तरदायी होंगे ।
- संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन करना एवं पस्ताव पारित करना ।
- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।
 - उप-शाखा का निर्माण करना ।



पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार :-

- क) अध्यक्ष :-
 - अ) साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
 - आ) सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ संस्था के बैंक खाता का संचालन करना ।
- ख) <u>उपाध्यक्ष</u> :-अध्यक्ष की अनुपरिश्वित में उनके कार्य करना ।
- ग) सचिव :-
 - अ) अध्यक्ष के निर्देशानुसार साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैटकों का आयोजन करना ।
 - आ) अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से समिति के बैंक खातों का संचालन करना ।
 - इ) सिमिति की गतिविधियों का संचालन करना ।
 - ई) अध्यक्ष के निर्देशानुसार अन्य कार्य करना ।
 - 3) स्थायी संपत्ति की ब्यवस्था करना ।

ध) कोषाध्यक्ष :-

- अ) अध्यक्ष एवं सचिव के साथ संयुक्त रूप से सिमिति के बैंक खातों का संचालन करना
- आ) संस्था के कोष के स्पृष्टित रखना, उसके विनिमय करना, हिसाब रखना, उनका अंकेक्ष्म कर्राना एवं अंकेक्षित हिसाब को कार्यकारिणी समिति एवं साधारण समार्थक सेमक्ष प्रस्तुत करना ।
- इ) वार्षिक बर्जार बनाकर पारित कराना ।

7. आमसभा का कार्य एवं अधिकारे

- अ) पदाधिकारियों सहित् कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन ।
- आ) संस्था की योजना, बजेंड, अंकेक्रित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना ।
- इ) संस्था की लेखा के अंकेक्षण की नियुक्ति करना ।
- ई) संस्था के स्मृतिपत्र एव नियमवाली में संशोधन लाना ।
- 3) संस्था के विधटन पर निर्णय लेना ।

8. आमसभा की बैठकें :-

- क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती हैं ।
- ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मॉग, जिसमें अधियावना करने वाले सिवस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियावना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियावना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा की वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक अधियावना में अंकित विषय पर

68 AMA

Jack Tol

- ा) कोरभ :-आमसभा की सभी बैटकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी(50%+1) ।
- बैठक की सूचना :-
- अ) आमसभा की सभी बैदकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों पूर्व दी जाएगी ।
- आ) बैटक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी।

9. कार्यकारिणी समिति की बैठकें :-

- वर्ष में कम से कम दो बार कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजीत की जायेगी।
- आ) साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य होगी ।

10. आय का श्रोत :-

- जनसहयोग, दान, गैर सरकारी, निजी संस्थानों से सहयोग ।
- सरकारी अनुदान एवं ॠण की प्राप्ति ।

11. कोष की व्यवस्था। बैंक खाते का संचालन :-

संस्था को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम किसी बैंक/डाकघर में खुले खाते में रखी जायेगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष या सचिव के संस्थात इस्ताक्षर का की जायेगी ।

12. अंकेक्षण :-

संस्था व लेखां का संधारण नियमित कृप्न रखा जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा मिर्द्युक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्स प्राची राया जायेगा । निबंधन बहानिसिक्षक, झारखण्ड, रॉची कि भी चाहे संस्था की लेखा का , जिसका शुल्क संस्था की लेखा अंकेक्षण किसी वाटी अंकेक्षक से करा सक्र द्वारा वहन किया जायेगी

१३. संशोधन :-

संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशेधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

14. पंजी का निरीक्षण :-


संस्था की सभी पंजीयाँ संस्था के निवंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेगी जहाँ कोई भी उनका निरीक्षण कर सकता है ।

15. कानुनी कारवाई : -

संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध कोई भी कानुनी कारवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी।

संस्था का विषटन एवं विषटनोंपरान्त सम्पति की ब्यवस्था :-

- अ) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी नारंगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा । आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी । आ) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की नो भी सम्पति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या बाह्य व्यक्ति को नहीं दी नारंगी, बिक्क आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्धेश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी नारंगी।
- इ) संस्था के विघटन के समय संस्था निवंधिन अधिनियम 21, 1860 धारा-13 एवं 14 का पूर्णतः पालन किया नायेगा ।



REHALA PALAMAU

DETAILS OF MEMBERS OF RISHIKUL SHAIKSHANIK SANSTHAN

7 Pr	6 Sh	5 Sh	4 Sh	3 Sh	2 Di	1 0	SI. No. N
Prof. V. K. Pandey	Sh. V. N. Pandey	Sh. Ram Rekha Pandey	Sh. Udai Narayan Pandey	Sh. Bishwanath Narayan	Dr. P. N .Tiwari	Dr. Rajeshwar Pandey	Name
Member	Member	Member	Secretary	Treasurer	Vice President	President	Designation
Department of Economics, St. Xavier's	Former Chairman, Jharkhand State Electricity Board	Retired Government Servant	Govt. Service,	Retired Bank Officer	Chief Medical Superintendent (Retd.) Coal India Ltd.	Retired Principal, Higher Secondary School	Occupation
Flat No. 802 A, Vadundhara Gardens, Harihar Singh Road, Bariatu, Ranchi – 834009	Flat No. 803 A, Vasundhara Gardens, Harihar Singh Road, Bariatu, Ranchi – 834009.	Village- Goderma, PO -Rehala , Palamau - 822124	HI – 232, Harmu Housing Colony, Ranchi – 834001	Gurukripa, Netaji Subhash Colony, Bajra, Itki Road, Ranchi – 834005	Flat No.202-A, Eshwari Enclave, Lower Vidyapati Nagar, Kanke Road, Ranchi – 834008	At & PO :-Rehala , Palamau − 822124	Address
M.A	B. Sc (Engineering)	A.I	M.Sc., L.L.B	M.A, L. L. B	MBBS, MD	M.A, Ph. D.	Educational Qualifications
							Remarks

Udai Narayan Pandey Secretary Rishikul Shaikshanik Sansthan





भारत सरकार GOYT. OF INDIA



In case this card is lost / found, bindly biform Income Tax PAN Services Unit, UTITS! Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbal - 400 614.

इस काई के खोने/पाने घर क्रपमा सुवित करें/लौडाएं : आयकार पैन सेवा पुनीह, पुरीक्रिकेट क्रा हुल, प्लाट नं: ३, सेक्टर ५, जी को बीक्सपूर,

भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त, केन्द्रीय राजस्व भवन, मेन. रोड, राँची

मं०सं० तकनीकी/VIII-उँऽी 2A/2008 -09/

राँची, दिनांक १८ छ । ७८

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए/एए के तहत आदेश

Rishikul Shaikshanik Sandhan, Kehla, Palamy

ने आयकर अधिनियम 1961 की उपर्युक्त धारा के तहत निबंधन हेतु अपना आवेदन विहित प्रपन्न में दिनांक एप् १०५ १०५० को अपने संविधान दिनांक की ७५ २० ०५० की प्रतिलिपि के साथ दिया है। उक्त आवेदन निर्धारित समय के अन्दर दिया गया है। अतः इस संस्था का पंजीकरण धारा 12ए(2) के न्तर्गत निर्धारण वर्ष - 2009-10 से प्रमावी होगा, की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

रस कार्यालय में धारा 12ए/एए के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की पंजी में इस आवेदन की किनीकी MIII- 3512A/2006-0 7 संख्या में प्रविष्टि कर दिया गया है।

्री० [रसः के सेन] आयकर आयुक्त, राँची।

नपन संबंध्यकनीकी VIII-3 में 2N2008-09/ जिस्ति होते थे कि विताल कार्यवही हेतु प्रेषितः

"उवसुप्ता भंधपा

अपर /संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र- े राँची । उप/सहायक आयकर आयुक्त, सर्किल - े राँची।

安のy: 2月のます。 上、 Avo ではのでは 1

भारत सरकार कार्यालय आयकर आयुक्त, केन्द्रीय राजस्व भवन, मेन रोड, रॉची

सं०सं०: आ०आ०/रॉची/तकनीकी/2009-10 २०१०-।।

रॉची, दिनांक 21-04-10

आ दे श आयकर अधिनियम, 1961की धारा 80 (छ)(vi)

म्धिकल शिक्षणिक संस्था, हैराला

पत्नीस इनाइ २००६ - 8 22 124 ने आयकर अधिनियम, 1961की उर्पयुक्त धारा के तहत राहत हेतु अपना आवेदन प्रपत्र में दिनांक 27-11-09 को इस कार्यालय में दिया है । यह आवेदन स्वीकार योग्य पाया गया है । अत: इस संस्था को आयकर अधिनियम, 1961की धारा 80(छ)(vi)के अन्तगर्त कर राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति सम्बन्धित शर्तो और सीमाओं के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2010-11 2ने 2012-13

के लिए मान्य होगी ।



हि० (आर० के०राय) आयकर आयुक्त, रॉची

ज्ञापन संख्या : आ०आ०/रॉची/तक०/VIII-51/80(छ)(vi)/2010-11/38-40 रॉची, दिनांक 21-04-10

सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :-

- 1. अपर/सयुंक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-2, रॉची ।
- 2. आयकर उपायुक्त/सयुक्त आयकर आयुक्त, अचंल- 2, रॉची ।
- 3. सम्बन्धित संस्था ।

abidi do the ta

(काजी के हिंक) सहायक आयकर आयुक्त (तकनिकि) कृते: आयकर आयुक्त, रॉची ।